प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –866 / 2022
अनवान : –

1. श्योकत अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रहमत बानो पुत्री नूर मोहम्मद जाति कयामखानी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. आरिफ खान पुत्र नसीरा बानु पुत्री नूर मोहम्मद जाति कयामखानी निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मोहम्मद हुसैन पुत्र नसीरा बानु पुत्री नूर मोहम्मद जाति कयामखानी निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक: 26.05.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशयक का पेश किया है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता सं0 108 / 98 के खसरा न0 32 के कुल क्षेत्रफल 8.7890 हैक्ट भूमि में से 1 / 3 हिस्सा भूमि वादी के व 1 / 3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 तथा 1 / 3 हिस्सा भूमि मृतका नसीरा बानो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विवादीत भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 वादी की बहिन है तथा प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 जो की वादी की बहिन मृतका नसीरा बानू के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है।

वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी भूमि है। उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण [illegible] 1 ता 3 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब [illegible] जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। वकील वादी ने वाद के समर्थन में शपथ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वारिसानामा प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र नसीरा बानो प्रदर्श–2, हक त्याग दिनांक 23.09.2022 वारिसान नसीराबानो एवं रहमत बानो प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें। साक्ष्य वादी में वादी श्योकत अली के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता सं0 108/98 के खसरा न0 32 के कुल क्षेत्रफल 8.7890 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी के व 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 तथा 1/3 हिस्सा भूमि मृतका नसीरा बानो के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक नूर मोहम्मद के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता सं0 108/98 के खसरा न0 32 का कुल क्षेत्रफल 8.7890 हैक्ट भूमि में से मृतका नसीरा बानु पुत्री नू रमोहम्मद व प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –866 / 2022

अनवान : –

1. श्योकत अली पुत्र नूर मोहम्मद जाति कायमखानी निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रहमत बानो पुत्री नूर मोहम्मद जाति कयामखानी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. आरिफ खान पुत्र नसीरा बानु पुत्री नूर मोहम्मद जाति कयामखानी निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मोहम्मद हुसैन पुत्र नसीरा बानु पुत्री नूर मोहम्मद जाति कयामखानी निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 866 सन 2022 निर्णय दिनांक 26.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री भरत सिंह बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही रोही मौजा चक देईदासपुरा तहसील नोहर के खाता सं0 108/98 के खसरा न0 32 का कुल क्षेत्रफल 8.7890 हैक्ट भूमि में से मृतका नसीरा बानु पुत्री नूरमोहम्मद व प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:58 IST
Reason: SelfAttested